16.10.24

बार-बार आवाज लगवाने के बाद भी न तो अपीलांट न ही अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित हुये। पत्रावली अन्तर्गत आदेश पत्रावली में बाकि की गयी है। प्रशा० फैसला शुक्रवार को पारित नंबर दि० अ० की जावे। बाद अन्तर दाखिल दफ्तर हो।

अपर जिला कलेक्टर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर